आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–63 / 2023

28-02-2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित।

इस वाद की पिछली सुनवाई 30.01.2024 को हुई थी। उस सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर शिकायतकर्ता की राय लेनी चाही। शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर आयोग को ये बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किया गया प्रतिवेदन आयोग को भ्रमित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता द्वारा यह बात कहे जाने के बाद आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन की विस्तृत जांच करने का जिम्मा आयोग के सदस्य सचिव को दिया। आयोग के सदस्य सचिव को पूरे मामले की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया था।

आयोग के सदस्य सचिव ने अपना प्रतिवेदन पेश किया है। प्रतिवेदन में भी शिकायकर्ता की बातों को सही पाया गया है और प्रतिवेदन की कंडिका–08 में सदस्य सचिव ने ये लिखा है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है और प्रथम दृष्टया स्पष्ट अनियमितता, कदाचित गबन के मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस प्रकार की भ्रामक प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आयोग न्याय के हित में सदस्य सचिव द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा रहा है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो सदस्य सचिव द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध यदि चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा सदस्य सचिव के प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आयोग विभाग को पत्र प्रेषित करेगा। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–20 की उपधारा 2 के तहत् भी कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।